

प्रेषक,

मोहम्मद रफी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं० 14, कानपुर नगर।
ID- UP 6336

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

विषय-श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 2019-2020 के
उन्नयन(Upgradation) के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 14, कानपुर नगर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी को 01.04.2019-31.03.2020 के कार्यों के संबंध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संबंधी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट e-services के माध्यम से प्राप्त हुई है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा प्रार्थी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निवेदन करने की याचना प्रार्थी कर रहा है।

1. प्रार्थी द्वारा अपना स्व-मूल्यांकन प्रलेख के बिंदु सं० 2 में अपेक्षित कुल कार्य 1200 यूनिट किये जाने की आवश्यकता थी, जबकि प्रार्थी द्वारा कुल **1686.58** यूनिट का कार्य किया गया है।
2. प्रार्थी द्वारा 10 वर्ष से अधिक **13 प्राचीन** मुकदमे तथा 5 वर्ष से अधिक **30 प्राचीन** मुकदमों में निर्णीत किये गये तथा गुणदोष के आधार पर कुल 79 वाद निर्णीत किये गये हैं।
3. प्रार्थी द्वारा लोक अदालत/वैकल्पिक विवाद प्रणाली के माध्यम से कुल 45 वाद निर्णीत किये गये हैं।
4. प्रार्थी की प्रशासनिक कार्य क्षमता, महिलाओं के प्रति आदर एवं संवेदनशीलता एवं वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारीगण के साथ संबंध तथा बार एवं पब्लिक के साथ कार्य में निष्पक्ष होने संबंधी अंकन रीमार्क में श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वयं किया गया है।
5. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा रीमार्क कॉलम सं० 1 (F)(iii) Application of Law - 'Satisfactory' एवं कॉलम सं० 1(i) Relations with members of the bar - 'So So' तथा कॉलम सं० 1 (K) Quaterly Inspection - 'Satisfactory' का अंकन किया गया है। अतः मेरे द्वारा किया गया कार्य (unit) एवं प्राचीनतम वादों के निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिये गये इन रीमार्कों के विरुद्ध मेरे द्वारा उन्नयन आवेदन दिये जाने की आवश्यकता हुई है, जिनका आधार निम्नवत है।

- A) कॉलम सं० 1 (F)(iii) Application of Law 'Satisfactory' अंकन करने के स्तर पर निवेदन है कि मेरे द्वारा स्व-मूल्यांकन के संबंध में संलग्न किसी भी निर्णय पर कोई विपरीत टिप्पणी श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई है एवं संलग्न किये गये निर्णयों में से SCC Revision No. 37 Of 2017 श्री भगवान देई बनाम श्रीमती फूला देवी व अन्य की पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Under Article 227 No. 1518/2020 श्रीमती फूला देवी व अन्य बनाम अपर जिला जज कक्ष सं० 14, कानपुर नगर में की है।
- B) कॉलम सं० 1 (i) Relations with members of the bar के संबंध में बार के साथ संबंधों में 'So So' का अंकन किया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सदैव ही बार के विद्वान सदस्यों का सम्मान किया गया है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश की टिप्पणी अंकन करने के कार्यकाल के दौरान अथवा पूर्व में कभी भी मेरे विरुद्ध बार द्वारा कोई प्रस्ताव अथवा शिकायत नहीं की गई है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा भी कभी भी मौखिक अथवा लिखित रूप से किसी प्रकार से बार की किसी शिकायत के बावत अवगत नहीं कराया गया है।
- C) कॉलम सं० 1 (K) में मेरे द्वारा कार्यालय का समुचित निरीक्षण पूर्ण एवं प्रभावी रूप से किया गया है, एवं मेरे द्वारा किये गये त्रैमासिक निरीक्षण के बावत भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा किसी विशिष्ट टिप्पणी अथवा विशिष्ट कमी का उल्लेख किसी भी निरीक्षण में नहीं किया गया है।
- D) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा मासिक गोष्ठी जनवरी 2020 व फरवरी 2020 में मेरे द्वारा किये गये कार्य के बावत 'Appreciable' (प्रशंसनीय) टिप्पणी का अंकन भी किया गया है।
- E) अतः उपरोक्त तथ्यों एवं प्रार्थी के कार्य, व्यवहार एवं आचरण को दृष्टिगत रखते हुए 'Satisfactory' तथा 'So So' रीमार्क को किसी अन्य उच्चतम श्रेणी में करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें, जिससे समग्र आकलन के समक्ष अंकित 'Good' Remark उच्चतम श्रेणी में आ सके, श्रीमानजी की महान कृपा होगा।

सादर,

भवदीय,

M. R. A.
16/9/2020
(मोहम्मद रफी)

दिनांक- 16.09.2020

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

कक्ष सं० 14, कानपुर नगर।

ID- UP 6336

कार्यालय जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर।

पत्र संख्या- 1563/2

दिनांक: 16 सितम्बर, 2020

महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,

कानपुर नगर।

16 SEP 2020
जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर